

2
23

कुलाम फरिसेन उपरिक्त। गैरसाधिलान 11 व 14 ने अवाव हेतु शमय चाहा। पत्रावली इन्जान कार्यावाही / अवाव हेतु दिनांक 10/3/23 को पेश हो।

10
23

पत्रावली पेश हुई श्री साक्षी ओ. साहू
आ.स. क्र. 121 से 1212 तक
पत्रावली दि. 19/4/23 को पेश हो।

19.4.23

पत्रावली पेश हुई श्री साक्षी ओ. साहू
(आ.स. क्र. 121 से 1212 तक)
पत्रावली दि. 17/5/23 को पेश हो।

17.5.2023

पत्रावली पेश हुई। शर्मा ने स्वयं उपरिक्त होकर जर्मि अधिवक्ता शर्मा का उत्तर दिया जो शामिल पत्रावली है। शर्मा का में शर्मा ने निवेदन किया है कि बाड़ी व अतिवादीगत की आपस में शर्मा का ही चुका है।

शर्मा शर्मा का फल धारा 212 RTA Act के शर्मा शर्मा की नसी चास्ता है। इसलिये उक्त शर्मा का फल को इसी स्तर पर (कारिज फरमाया जावे) शर्मा के शर्मा का के मध्यमकर पत्राकारान में शर्मा का लगे पर न्याय दिन में शर्मा की शर्मा का फरिज एांन व शर्मा भनकर हुंसेन का डि शर्मा दिया जाता है। पत्रावली गनकर से इस होकर शामिल इफतार हो।

Identified by me
17/5/23
Bans

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)